

5

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना
अधिसूचना

प0सं0-14/डी0एल0ए0 भोजपुर (गंगा पुल)-35/2013-2623/पटना-15, दिनांक-14/11/2013

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम- जमालपुर, थाना नं0 126, चादर नं0 01, अंचल-कोईलवर, जिला भोजपुर में सार्वजनिक परियोजनार्थ बबुरा से डोरीगंज गंगा नदी में उच्चस्तरीय पुल निर्माण में बिहार राज्य पहुँच पथ के लिये निर्माण हेतु सार्वजनिक व्यय से जमीन लेने की आवश्यकता है।

अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ ग्राम- जमालपुर, थाना नं0 126 अंचल-कोईलवर, जिला भोजपुर में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 11.735 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा निम्नवत है:-

पूर्ण खेसरा सं0 433, 432, 430, 417, 418, 419, 416, 414, 415, 530, 534, 533, 536, 577, 578, 579, 580, 431 एवं अंश खेसरा सं0 164, 165, 166, 167, 169, 170, 168, 152, 171, 172, 173, 83, 84, 85, 89, 90, 92, 100, 101, 99, 98, 120, 121, 137, 82, 147, 146, 143, 142, 138, 357, 358, 361, 362, 439, 435, 372, 373, 374, 406, 407, 408, 434, 428, 429, 427, 420, 522, 523, 524, 531, 532, 525, 526, 527, 612, 611, 539, 535, 537, 543, 529, 544, 528, 603, 815, 814, 582, 816, 574, 575, 576, 91, 102, 97, 96, 95, 426, 425, 413, 581

चौहद्दी:-

उत्तर - दौलतपुर, थाना नं0 111

दक्षिण - भौजा जमालपुर नं0 126, चादर 02

पूरब- खेसरा सं0 167, 169, 170, 171, 172, 173, 152, 84, 89, 90, 92, 100, 97, 96, 95, 98, 147, 146, 143, 142, 138, 357, 358, 361, 362, 372, 373, 374, 406, 407, 408, 413, 525, 526, 527, 611, 610, 603, 581, 582, 814, 815


पश्चिम - खेसरा सं0 164, 165, 166, 168, 152, 82, 83, 85, 89, 91, 92, 102, 101, 99, 120, 121, 137, 439, 435, 434, 433, 429, 436, 428, 427, 426, 425, 420, 522, 523, 524, 531, 532, 539, 537, 535, 543, 544, 545, 529, 528, 574, 575, 816, 815, 576

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1-1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधिन जैसा की भू-अर्जन बिहार संशोधन अधिनियम की धारा 11सन् 1960(11) के द्वारा संशोधित हुआ है। उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिससे इसका संबंध है। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शिघ्रता को देखते हुये अधिनियम की धारा 5(7) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।


समाहर्ता
भोजपुर आरा

कृ0पृ0उ0

प्रतिलिपि:- निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार पटना को घोषणा प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ समाचार पत्रों आज एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित सूचना का प्रेस कतरन कृपया समाहर्ता, भोजपुर एवं इस विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला-गजट शाखा-समाहरणलय भोजपुर को दो प्रतियों में जिला गजट को अगला असाधरण अंक प्रकाशनार्थ एवं उसकी दस प्रतियों में इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय भोजपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, भोजपुर, आरा / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ प्रेषित।

13/11/13

अ.स.चिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना

a